

सं0ई0एक्स0एन0-एफ(10)-8/2013
हिमाचल प्रदेश सरकार
आबकारी एवं कराधान विभाग

प्रेषित

✓सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा,
शिमला-171004

दिनांक:शिमला-171002

18/03/2016

विषय:-

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 3) को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सत्र में रखने बारे नोटिस ।

महोदय,

मुझे आपको सूचित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है कि मैं हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 3) को विधान सभा के वर्तमान अधिवेशन में प्रस्तुत करना चाहता हूँ ।

विधेयक की 120 (तीन अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) संलग्न है ।
आपसे अनुरोध है कि विधेयक को विधान सभा में प्रस्तुत करने के लिए कार्यसूची में शामिल करने की कृपा करें ।

भवदीय,

(प्रकाश चौधरी)
आबकारी एवं कराधान मन्त्री
हिमाचल प्रदेश

पृष्ठांकन सं0ई0एक्स0एन0-एफ(10)-8/2013

दिनांक: शिमला-2

2016.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
2. सचिव (सामान्य प्रशासन), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2 को मन्त्रीमण्डल की बैठक दिनांक 14.1.2016 में मद सं0 119 से सम्बन्धित लिए गए निर्णय के संदर्भ में ।
3. आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, शिमला-9

(पार्वती वर्मा)

संयुक्त सचिव(आबकारी एवं कराधान)
हिमाचल प्रदेश सरकार
दूरभाष:0177-2628929

2016 का विधेयक संख्यांक 3

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन)
विधेयक, 2016

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 3 का संशोधन।
3. नई धारा 4-क का अन्तःस्थापन।
4. धारा 6-क का संशोधन।

**हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन)
विधेयक, 2016**

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 9) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2016 है। संक्षिप्त नाम।
 - 5 2. हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ii) में "क्रम संख्या 6 और 7" शब्दों और अंकों के स्थान पर "क्रम संख्या 1 (क)" शब्द, अंक और चिन्ह रखे जाएंगे। धारा 3 का संशोधन।
 - 10 3. मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :- नई धारा 4-क का अन्तःस्थापन।
- "4-क. ई-कामर्स पर कर का उद्ग्रहण.- (1) धारा 3 में किसी बात के होते हुए भी अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट माल के स्थानीय क्षेत्र में ऑनलाइन क्रय या संव्यवहार के माध्यम से या ई-कामर्स के माध्यम से प्रवेश पर कर उद्गृहीत किया जाएगा।
- 15 (2) कर, माल के मूल्य पर, विहित रीति में उद्गृहीत किया जाएगा और आयातकर्ता की ओर से माल के भारसाधक व्यक्ति से संगृहीत किया जाएगा।"

धारा 6-क का
संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 6-क में,—


(क) उपधारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी विवरणी को ऐसी रीति में दाखिल करेगा जैसी विहित की जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन विवरणी को दाखिल करने से पूर्व व्यौहारी यथाविहित प्रत्येक अवधि के लिए देय कर की सम्पूर्ण रकम जमा करेगा और ऐसे कर के संदाय का सबूत निर्धारण प्राधिकारी को देगा।” और

(ख) उपधारा (3) में “मासिक” शब्द का लोप किया जाएगा।

अधिप्रमाणित


आसफ़ अली खान
हिमाचल प्रदेश।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य के भीतर डीजल और स्नेहकों का क्रय करने वाला व्यौहारी क्रमशः 16% और 13.75% की दर से मूल्य परिवर्धित कर का संदाय करता है। जब ऐसा व्यौहारी ऐसे ईंधन और स्नेहकों का उपयोग कराधेय माल के विनिर्माण या ऊर्जा के नियन्त्रित उत्पादन में करता है तो उसे क्रमशः 12% और 9.75% आगत कर प्रत्यय अनुज्ञात किया जाता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 11 की उपधारा (3) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार, ईंधन और स्नेहकों पर आगत कर प्रत्यय केवल उस विस्तार तक अनुज्ञात किया जाता है, जहां राज्य में संदत्त कर 4% से अधिक हो। परिणामस्वरूप व्यौहारी को केवल 4% कर ही संदत्त करना पड़ता है। जबकि इसके विपरीत यदि व्यौहारी राज्य के बाहर से डीजल और स्नेहक लाता है तो वह 12% प्रवेश कर और 2% केन्द्रीय विक्रय कर संदत्त करने का दायी है। यदि ऐसा व्यौहारी डीजल और स्नेहकों का उपयोग विक्रय हेतु कराधेय माल के विनिर्माण में करता है तो ऐसा व्यौहारी 12% का मुजरा (सैट ऑफ) प्राप्त करता है और ऐसे व्यौहारी पर कर भार की अंतिम विवक्षा केन्द्रीय विक्रय कर का केवल 2% है। अतः राज्य के भीतर डीजल और स्नेहकों का क्रय करने वाला व्यौहारी उस व्यौहारी की तुलना में अधिक भार वहन करता है जो विक्रय हेतु कराधेय माल के विनिर्माण में उपयोग के लिए राज्य के बाहर से डीजल और स्नेहकों का क्रय कर रहा है। परिणामस्वरूप व्यौहारी राज्य के बाहर से इनका क्रय करने को अधिमान देता है और व्यौहारियों के ऐसे प्रवर्ग से राज्य को कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता है। इसलिए, राज्य के बाहर से डीजल और स्नेहकों के क्रय पर मुजरा (सैट ऑफ) न्यायोचित नहीं है। इसके अतिरिक्त, निरन्तर बढ़ते हुए ऑन लाइन शॉपिंग बिजनेस से सम्भाव्य राजस्व का दोहन (टेप) करने के दृष्टिगत यह प्रस्तावित है कि ऑन लाइन क्रयों को पूर्वोक्त अधिनियम की परिधि के अधीन लाया जाए और आयातकर्ता की ओर से ऐसे माल का भार-साधक व्यक्ति कर संदत्त करने के लिए दायी होगा। इसके अतिरिक्त यह भी अनिवार्य समझा गया है कि विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमितियों के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी संयुक्त विवरणियां दाखिल करें और केवल एक दी गई अवधि के दौरान ही करों का संदाय करें। इससे व्यौहारियों को अपने कारबार का सुगमता से प्रबन्ध करना सुकर हो जाएगा और यह विभाग को अधिक प्रभावी रूप से अधिनियम को प्रशासित करने में भी समर्थ बनाएगा। इसलिए, वांछनीय उद्देश्यों को पूरा करने के आशय से पूर्वोक्त अधिनियम में तदनुसार उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।


अधिष्ठाणित

(प्रकाश चौधरी)

प्रभारी मन्त्री।

शिमला :

तारीख : 2016


आयकर एवं कराधेय मन्त्री
हिमाचल प्रदेश।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित किए जाने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाएंगे और राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 3 और 4, ब्यौहारी द्वारा विवरणी दाखिल करने के लिए प्रक्रिया का और प्रवेश कर के उद्ग्रहण की रीति का उपबन्ध करने हेतु राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करते हैं। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 9) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(प्रकाश चौधरी)
प्रभारी मन्त्री।

अधिप्रमाणित

(डॉ० बलदेव सिंह)
प्रधान सचिव (विधि)।


प्रभारी विधि सचिव
हिमाचल प्रदेश।

शिमला :

तारीख :, 2016

इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 9) के उपबन्धों के उद्धरण

धाराएं :

3. कर का भार.—(1) व्यौहारी के कारबार के दौरान, अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट माल के प्रत्येक ऐसे क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या वहां विक्रय के लिए प्रवेश पर कर को उद्गृहीत और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कर, अनुसूची-2 के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दरों पर व्यौहारी के कराधेय आवर्त पर संदेय होगा और ऐसा कर, प्रत्येक व्यौहारी द्वारा संदत्त किया जाएगा।

(3) प्रत्येक व्यौहारी जो किसी भी माल को विनिर्माण, प्रसंस्करण, संपरिवर्तन, फुटकर काम, संमजन या माल की पैकिंग के लिए स्थानीय क्षेत्र में लाता है और ऐसा माल मूल्य परिवर्धित कर विक्रयों से अन्यथा राज्य के भीतर विक्रीत किया जाता है या अंतरराज्यिक विक्रय के क्रम में से अन्यथा या भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर निर्यात के क्रम में राज्य से बाहर भेजा जाता है, तो वह इस अधिनियम के अधीन कर के संदाय के लिए दायी होगा।

(4) उपधारा (1), (2) या (3) में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन कोई कर, निम्नलिखित की बाबत उद्गृहीत नहीं किया जाएगा—

- (i) अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट माल;
- (ii) अनुसूची-2 की क्रम संख्या 6 और 7 पर विनिर्दिष्ट माल के सिवाय, ऐसा माल जिस पर मूल्य परिवर्धित कर संदत्त किया जा चुका हो या राज्य को संदेय हो;
- (iii) अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट ऐसा माल, जिसे स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात्, उसी रूप में राज्य के बाहर या अन्तर्राज्य व्यापार अथवा वाणिज्य या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय किया जाता है;
- (iii-क) अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट ऐसा माल, जिसे स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात् विनिर्माण, प्रसंस्करण, संपरिवर्तन, फुटकर काम, संमजन या माल की पैकिंग के लिए उपयोग में या

उपभोग में लाया जाता है और ऐसा माल अन्तरराज्यिक विक्रय के क्रम में या भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर निर्यात के क्रम में, विक्रय द्वारा राज्य से बाहर भेजा जाता है; और

(iv) ऐसा माल जिसके प्रवेश पर निर्धारण प्राधिकारी के समाधान के अनुसार यह साबित हो जाता है कि ऐसे माल पर पहले ही इस अधिनियम के अधीन प्रवेश कर लगाया गया है:

परन्तु यदि कोई व्यौहारी, अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट किसी माल को पुनः विक्रय के प्रयोजन के लिए स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश करवाता है, जब ऐसे माल का, उसके पुनः विक्रय से भिन्न किसी भी रूप में उपभोग करता है या ऐसे माल का किसी अन्य रीति में व्यवहार करता है, तो वह ऐसे माल की बाबत, कर के संदाय के लिए दायी होगा :

परन्तु यह और कि इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी जब कोई व्यौहारी, अपने कारबार के दौरान इस अधिनियम के अधीन कर के संदाय के लिए दायी है, रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति या व्यौहारी से माल का क्रय करता है, जिसने ऐसे माल का स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश ऐसे क्रय से पूर्व किया है, तो कर उस व्यौहारी द्वारा संदत्त किया जाएगा, जिसने ऐसे माल को क्रय किया है।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए संकर्म संविदा के निष्पादन के लिए, किसी उपभोग या उपयोग के लिए स्थानीय क्षेत्र में माल का प्रवेश, कारबार के दौरान, माल का प्रवेश समझा जाएगा और वह व्यक्ति, जिसने ऐसे माल का स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश किया है, व्यौहारी समझा जाएगा।

(5) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा अनुसूची-1 या अनुसूची-2 में किसी माल को उसमें समाविष्ट या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी या कर की दरों सहित इन अनुसूचियों को अन्यथा संशोधित कर सकेगी और तत्पश्चात् अनुसूचियां तदानुसार संशोधित की गई समझी जाएंगी।

6-क. कर का संदाय और विवरणियां.—(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी, ऐसे मास के अवसान से तीस दिन के भीतर और ऐसी रीति में ऐसी विशिष्टियों से अन्तर्विष्ट जैसी विहित की जाएं, मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन विवरणी दाखिल करने से पूर्व व्यौहारी, पूर्ववर्ती मास की अवधि के लिए मासिक आधार पर देय कर की पूर्ण रकम ऐसे मास के अवसान के तीस दिन के भीतर जमा करेगा और ऐसे कर के संदाय का सबूत निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(3) यदि व्यौहारी बिना किसी पर्याप्त हेतुक के, उपधारा (1) के अधीन मासिक विवरणियां प्रस्तुत करने से असफल रहता है, तो वह ऐसी विवरणी को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के लिए दस दिन तक सौ रुपए प्रतिदिन के बराबर की राशि शास्ति स्वरूप संदत्त करने के लिए दायी होगा, जिसके पश्चात् जब तक व्यतिक्रम जारी रहता है, शास्ति पांच सौ रुपए प्रतिदिन होगी; परन्तु जहां कोई भी कर संदेय नहीं है, तो ऐसी शास्ति प्रत्येक विवरणी के लिए पांच सौ रुपए से अधिक नहीं होगी।

(4) यदि व्यौहारी बिना किसी पर्याप्त हेतुक के, उपधारा (2) के उपबन्धों की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो आयुक्त या हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उसकी सहायता के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, ऐसे व्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उसे देय कर की रकम के पचास प्रतिशत के बराबर की राशि शास्ति स्वरूप संदत्त करने का निदेश दे सकेगा।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 3 OF 2016

**THE HIMACHAL PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS
INTO LOCAL AREA (AMENDMENT) BILL, 2016**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

**THE HIMACHAL PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL
AREA (AMENDMENT) BILL, 2016**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title.
2. Amendment of section 3.
3. Insertion of new section 4-A.
4. Amendment of section 6-A.

**THE HIMACHAL PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS
INTO LOCAL AREA (AMENDMENT) BILL, 2016**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods
into Local Area Act, 2010 (Act No. 9 of 2010).*

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in
the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area (Amendment) Act, 2016. Short title.

5 2. In section 3 of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010 (hereinafter referred to as the “principal Act”), in sub-section (4), in clause (ii), for the words, figures and signs “Sr. Nos. 6 and 7”, the words, figure and signs “Sr. No. 1(a)” shall be substituted. Amendment of section 3.

10 3. After section 4 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:— Insertion of new section 4-A.

“4-A. Levy of tax on e-commerce.—(1) Notwithstanding anything contained in section 3, there shall be levied a tax on entry of goods specified in Schedule-II into local area made through online purchase or transaction or through e-commerce.

15 (2) The tax shall be levied on the value of the goods in the manner prescribed and shall be collected from the person-in-charge of the goods on behalf of the importer.”

Amendment
of section
6-A.

4. In section 6-A of the principal Act,—

(a) for sub-sections (1) and (2), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

“(1) Every registered dealer shall furnish return in such manner as may be prescribed. 5

(2) Before filing of return under sub-section (1), a dealer shall deposit full amount of tax due for each period as prescribed and shall furnish the proof of payment of such tax to the Assessing Authority.”; and

(b) in sub-section (3), the word “monthly” shall be omitted. 10

Authenticated

Shamir

Digitally signed by Shamir, DN: cn=Shamir, o=Shamir, ou=Shamir, email=shamir@shamir.com

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

A dealer who buys diesel and lubricants within the State pays Value Added Tax at the rate of 16% and 13.75% respectively. When a dealer uses such fuel and lubricants in the manufacture of taxable goods or captive generation of power, he is allowed an Input Tax Credit of 12% and 9.75% respectively, because according to second proviso to sub-section (3) of section 11 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, Input Tax Credit on fuel and lubricants is allowed only to the extent by which the tax paid in the State exceeds 4%. As a result a dealer has to pay only 4% tax. Whereas, on the other hand if the dealer brings diesel and lubricants from outside the State, he is liable to pay 12% Entry Tax and 2% CST. If such dealer uses the diesel and lubricants in manufacturing of taxable goods for sale, then such dealer gets set off of 12% and final implication of tax burden on such dealer is only 2% of the Central Sales Tax. Thus a dealer buying diesel and lubricants within the State bears a higher burden *vis-a-vis* a dealer buying diesel and lubricants from outside the State for using in manufacturing of taxable goods for sale. As a result dealer prefers to buy from outside the State and the State gets no revenue from such class of dealers. Therefore, set off on purchase of diesel and lubricants from outside the State is not justified. Further, with a view to tap the revenue potential of the ever growing online shopping business it is proposed that online purchases may be brought under the ambit of the Act *ibid* and the person-in-charge of such goods shall be liable to pay the tax on behalf of the importer. Further, it is also considered imperative that dealers registered under the different enactments administered by the Department should file combined returns and make payment of taxes during one given period only. This will facilitate the dealers in managing their business easily and will also enable the department to administer the Act more effectively. Thus, in order to achieve the desired objectives, it has been decided to make suitable amendments in the Act *ibid* accordingly.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PRAKASH CHAUDHARY)
Minister-in-Charge.

SHIMLA :

Authenticated

The....., 2016.

Prakash
आवकरी एवं उत्पाद शुल्क विभाग
शिमला प्रदेश।

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted are to be enforced through the existing Government machinery and there will be no additional expenditure from the State exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 3 and 4 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules providing for the procedure for filing of returns by the dealer and manner for levy of entry tax. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

**THE HIMACHAL PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREA
(AMENDMENT) BILL, 2016**

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act,
2010 (Act No. 9 of 2010).*

(PRAKASH CHAUDHARY)
Minister-in-Charge.

(DR. BALDEV SINGH)
Principal Secretary (Law).

Authenticated

SHIMLA :

The....., 2016.

[Signature]
संसदीय प्रकाशनालय
शिमला प्रदेश

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREA ACT, 2010 (ACT No. 9 OF 2010) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMMENDMENT BILL

Sections :

3. (1) Incidence of taxation.—(1) There shall be levied and paid to the State Government a tax on the entry, in the course of business of a dealer, of the goods specified in Schedule-II into each local area for consumption, use or sale therein.

(2) The tax under sub-section (1) shall be payable on the taxable turnover of a dealer at the rates specified in column 3 of Schedule-II and such tax shall be paid by every dealer.

(3) Every dealer who brings any goods into local area for use in manufacturing, processing, conversion, job-work, assembling or packing of goods and such goods sold inside the State otherwise than Value Added Tax sales or sent outside the State otherwise than in the course of inter-state sale or in the course of export out of territory of India, shall be liable to pay tax under this Act.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), (2) or (3), no tax under this section shall be levied—

- (i) in respect of the goods specified in Schedule-I;
- (ii) in respect of the goods on which Value Added Tax has been paid or has become payable to the State, except goods specified at Sr. Nos. 6 and 7 of Schedule-II;
- (iii) in respect of goods specified in Schedule-II, which after entry into a local area are sold in the same form outside the State or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of the territory of India;
- (iii-a) in respect of goods specified in Schedule-II, which after entry into local area are used or consumed in manufacturing, processing, conversion, job-work, assembling or packing of goods and such goods are sent outside the State by way of sale in the course of inter-state sale or in the course of export out of territory of India;
- (iv) in respect of goods on the entry of which it is proved to the satisfaction of the Assessing Authority that such goods have already been subjected to tax under this Act:

Provided that if any dealer who has effected entry of any goods specified in Schedule-II into a local area for the purpose of re-sale, consumes such goods in any form or deals with such goods in any other manner, except reselling the same, he shall be liable to pay tax in respect of such goods :

Provided further that notwithstanding anything contained in this Act where a dealer liable to pay tax under this Act in the course of his business, purchases goods from a person or a dealer other than a registered dealer who has effected entry of such goods into the local area prior to such purchase, the tax shall be paid by the dealer who has purchased such goods.

Explanation.—For the purpose of this sub-section the entry of goods into a local area for consumption or use therein in the execution of a works contract shall be deemed to be the entry of goods in the course of business and the person who has effected the entry of such goods into a local area shall be deemed to be a dealer.

(5) The State Government may by notification, add to or delete from the Schedule-I or Schedule-II any goods, or otherwise amend these Schedules, including rates of tax, and thereupon the Schedules shall be deemed to have been amended accordingly.

6-A. Payment of tax and returns.—(1) Every registered dealer shall furnish monthly return within 30 days from the expiry of such month and in such manner containing such particular as may be prescribed.

(2) Before filing of return under sub-section (1), a dealer shall deposit full amount of tax due on monthly bases for the period of preceding month within 30 days from the expiry of such month and shall furnish the proof of payment of such tax to the Assessing Authority.

(3) If a dealer fails without sufficient cause to furnish the monthly returns under sub-section (1), he shall be liable to pay, by way of penalty, a sum equal to Rs. 100 per day for delay in furnishing such return upto ten days, whereafter the penalty shall be Rs. 500 per day till the default continues; provided that where no tax is payable, such penalty shall not exceed Rs. 500 for every return.

(4) If a dealer fails without sufficient cause to comply with the requirements of provisions of sub-section (2), the Commissioner or any other person appointed to assist him under sub-section (1) of section 3 of Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, may, after giving such dealer a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty a sum equal to 50 per centum of the amount of tax due.